

186



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

श्री. ~~जा.प्र. नायक एड.~~ प्रकरण क्रमांक -दो/2017 निगरानी 527-II-17
द्वारा आज दि. 11-2-17 को

प्रस्तुत

4-2-17
के.के. ऑफ कोर्ट

श्रीमती प्रियोशी पत्नि वैभव अग्रवाल
राजस्व मण्डल भ.प्र. ग्वालियर निवासी बंगला नं. 46 केन्ट झांसी 30प्र0

2- श्रीमती छया पत्नि विनोद कुमार अग्रवाल
निवासी 1162 सिविल लायन
झांसी उत्तर प्रदेश
विरुद्ध

---आवेदकगण

1- म0प्र0शासन द्वारा

कलेक्टर जिला शिवपुरी

---असल अनावेदक

2- अजबसिंह पुत्र वीर सिंह यादव

ग्राम खडपुरा तहसील करैरा जिला शिवपुरी

3- जितेन्द्र पुत्र जगदीप्रसाद कायस्त

गणेश चौक करैरा जिला शिवपुरी

4- उत्तरा पुत्री दयाकिशोर पत्नि वल्ली यादव

ग्राम सेवड़ीकलौ तहसील करैरा जिला शिवपुरी

5- श्रीमती कपूरी पत्नि देवकी खँगार

पुत्री देवसिंह खँगार ग्राम सलैया

तहसील करैरा जिला शिवपुरी

---तरतीवी अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,
1959 - श्रीमान तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी द्वारा
प्रकरण क्रमांक 110/2013-14 अ-6 में पारित आदेश
दिनांक 20-12-2016 के विरुद्ध)

कृ0पृ030--2

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :-निगरानी-527-दो/2017

जिला-शिवपुरी

श्रीमती प्रियांशी व अन्य विरुद्ध म.प्र. द्वारा कलेक्टर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार करैरा, जिला-शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 110/2013-14/अ-6 में पारित आदेश दिनांक 20-12-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11-09-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(जे०के० जैन) सदस्य</p>	